


धनबाद समाहरणालय (सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

(निविदा की शर्तें)

1. निविदा दिनांक 15.10.2012 के 2 बजे अपराह्न तक धनबाद समाहरणालय, सामाजिक सुरक्षा शाखा में उपलब्ध निविदा पेटी में डाला जायेगा एवं दिनांक 15.10.2012 को बजे अपराह्न में निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरी अथवा किसी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं क्रय समिति के सदस्यों द्वारा निविदा खोलकर इस पर निर्णय लिया जायेगा।
2. निविदादाताओं को निविदा को मुहरबंद लिफाफे में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, धनबाद के पदनाम से 10,000/- (दस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा।
3. निविदादाता को तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के रूप में दो मुहरबंद लिफाफा में अलग-अलग भरकर एक साथ देना होगा, तकनीकी निविदा की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
4. निविदादाता को फर्म का वाणिज्यकर निबंधन प्रमाण पत्र एवं वाणिज्यकर स्वच्छता प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर रिटर्न, पैन नं० एवं कंबल के अधिकृत विक्रेता के प्रमाण पत्र की छाया प्रति तथा चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करनी होगी। निविदा में कंबल का वजन न्यूनतम 2.20 किलोग्राम होना अनिवार्य होगा। कंबल का साईज 88" X 57" होगा।
5. यदि निविदादाता अपना निविदा फार्म प्रस्तुत करने के बाद मुकर जाता है या हटता है, अपना प्रस्ताव म और/या उसकी शर्तों का नियमों में कोई संशोधन करता है तो अग्रघन राशि 10,000/- (दस हजार) रुपये बिना किसी अन्य आदेश के स्वयं ही जप्त हो जायेगी अथवा जप्त मानी जायेगी। ऐसी जप्ती की सूचना निविदादाता को पृथक से देना आवश्यक नहीं होगा।
6. निविदा प्रस्तुति/स्वीकृति के उपरान्त जाली/असत्य दरतावेज पाये जाने पर निविदादाता से किया गया अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा निविदा/अनुबंध के साथ जमा अग्रघन/जमानत राशि जप्त कर ली जायेगी।
7. निविदादाता द्वारा निविदा खोलने के समय दो नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसको क्रय समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा जायेगा।
8. कंबलों की आपूर्ति धनबाद जिले के सभी प्रखण्डों में आपूर्ति करनी होगी, जिसके लिए कोई भी शुल्क/परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
9. कंबलों की आपूर्ति हेतु अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
10. आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को प्रखण्ड मुख्यालय में आपूर्ति आदेश मिलने के एक सप्ताह के अन्दर कंबलों की आपूर्ति नहीं किया जाने के स्थिति में उनके प्रतिभूत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।


14/10/2012
उपायुक्त,
धनबाद।

ज्ञापांक 699/सा०सु०, दिनांक 15-10-2012

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि अल्पकालीन निविदा की शर्तों को जिला वेबसाईट www.dhanbad.nic.in पर Upload करें।

प्रतिलिपि : निदेशक सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


14/10/2012
उपायुक्त,
धनबाद।

धनबाद समाहरणालय (सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

(निविदा सूचना)

वित्तीय वर्ष 2012-13 में श्रम एवं नियोजन विभाग, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड राँची द्वारा धनबाद जिले को आवंटित कुल 10,66,500.00 (दस लाख छियासठ हजार पाँच सौ) रुपये राशि के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे व्यक्तियों यथा निर्धन, गरीब, असहाय, अपंग, भिक्षुक, भूमिहीन, वृद्ध, वृद्धा एवं असहाय विधवाओं के बीच मुफ्त वितरण हेतु 88" X 57" साईज के न्यूनतम 2.20 किलोग्राम के वजन के कम्बल कय करने के लिए मुहरबंद निविदा की शर्तें बेबसाईट www.dhanbad.nic.in एवं कार्यालय अवधि में सामाजिक सुरक्षा कोषांग, धनबाद समाहरणालय से प्राप्त कर सकते हैं।


उपायुक्त,
धनबाद।

ज्ञापांक 720 / सा0सु0, दिनांक 15-10-2012

- प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जन सर्मर्पक विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा का प्रकाशन सभी प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में कराने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि अल्पकालीन निविदा की शर्तों को जिला बेबसाईट www.dhanbad.nic.in पर Upload करें।
- प्रतिलिपि :- निदेशक सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त,
धनबाद।